न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 38/2020

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र विशन सिंह
2. मनमीत पत्नी इन्द्रपाल सिंह
3. गुरुदीप कौर पत्नी महेन्द्रपाल सिंह
4. इन्द्रपाल पुत्र सुरेन्द्र सिंह
5. रवनीत कौर पत्नी बृजेन्द्र सिंह
6. बृजेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
7. महेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
8. बलजीत कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
   जातियान–सरदार (सिक्ख)
9. प्रियंका अग्रवाल पुत्री राजेन्द्र कुमार, जाति–वैश्य

निवासीयान–लाल बाग, गांधी सेवा सदन वार्ड नं0 32 नगर पालिका बयाना
जिला–भरतपुर राजस्थान।

.... अपीलांट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक..................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना ।

निर्णय **दिनांक : 09.12.2020**

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक ....के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड संख्या 32 में गांधी सेवा सदन ,लाल बाग बयाना में स्थाई रूप से निवास करते हैं। अपीलान्ट्स के नाम किसी भी मतदाता सूची में नहीं हैं। अपीलान्ट्स के द्वारा वार्ड संख्या 32 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आधार कार्ड, राशनकार्ड व फार्म नं0 7 की प्राप्ति रसीद मय दस्तावेज पेश किये थे, किन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने बिना किसी कारण व आधार के आवेदनों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अस्वीकृत कर दिया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 32 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि " अपीलान्ट वार्ड संख्या 32 के स्थाई निवासी नहीं हैं, और न ही वे वार्ड संख्या 32 में निवास करते हैं। अपीलान्ट्स के नाम अन्य स्थान पर दर्ज है। अपीलान्ट्स के द्वारा नाम जुडवाने बावत् नियम विरूद्व आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर खारिज किये गये हैं।

अपीलान्ट्स को वार्ड संख्या 32 कस्बा बयाना में आवासरत होना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट्स के नाम अन्य स्थान की मतदाता सूची में होने से उनके नाम वार्ड संख्या 32 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोडा जाना उचित नहीं हैं। **राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है एवं किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर नहीं हो सकता।** ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested